<u>न्यायालय : अपर जिला न्ययाधीश तृतीय, नवादा</u>

हकीयत अपिल वाद संख्या – <u>03 / 2019</u>
04 / 2019

श्याम किशोर सिंह ———————— अपिलकर्ता
वनाम्
शंकर प्रसाद साव एवं अन्य ————————— उत्तरवादीगण

04.09.2019 अपिलकर्ता एवं उत्तरवादी संख्या 28 की ओर से हाजिरी है। पुकार पर अपिलकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपिलकर्ता की ओर से दाखिल दिनांक 28.08.2019 के आवेदन को प्रचालित किया गया। आवेदन को प्रचालित करते हुए अपिलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है की प्रतिवादी संख्या 04 विद्या देवी का निधन हो गया है और उनके वारशान पूर्व से हीं पक्षकार हैं। अतः विद्या देवी का नाम अपिलवाद से हटाने की अनुमति दी जाय साथ हीं उनका यह भी कहना है की प्रतिवादी संख्या 16 अनिता तरवे वर्तमान में गौरी कूंज, निकट सी0 एच0 इंटर विद्यालय, झुमरी तिलैया, जिला कोडरमा, झारखण्ड में रह रही है। अतः उनका वर्तमान पता मेमो ऑफ अपिल में दर्ज करने एवं मेमो ऑफ अपिल में संशोधन करने का अनुमति दी जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

अपिलकर्ता के द्वारा उत्तरवादी संख्या 04 के संबंध में कहा गया है की उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभिलेख देखने से स्पष्ट होता है की उत्तरवादी संख्या 04 के वारशान पूर्व से हीं अपिलवाद मे पक्षकार है। अतः अपिलकर्ता को उत्तरवादी संख्या 04 का नाम मेमो ऑफ अपिल से हटाने की अनुमति दी जाती है। अपिलकर्ता को उत्तरवादी वादी 16 अनिता तरवे का वर्तमान पता मेमो ऑफ अपिल में दर्ज करने एवं मेमो ऑफ अपिल में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। अपिलकर्ता 14 दिनों के अंदर उत्तरवादी संख्या 04 का नाम मेमो ऑफ अपिल से विलोपित करें एवं उत्तरवादी संख्या 16 का वर्तमान पता मेमो ऑफ अपिल में दर्ज करें। तत्पश्चात् अनुपस्थित उत्तरवादीगण की उपस्थिति हेतु आवश्यक कारवाई करें।

अभिलेख दिनांक 19.09.2019 को उत्तरवादीगण की उपस्थिति हेतु।

(लेखापित)

अपर जिला न्यायाधीश, तृतीय
नवादा